संख्याः 310 / xxvii(7)म.भ. / 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शसन।
2–सचिव, शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः– राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः220 / xxvii(3)अ0आ0 / 2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में निदेशक, विधालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक अर्थ 5(क)8 / 1588 / ग्रैच्युटी / 2007–08 दिनांक 15 अप्रैल,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के दृष्टिगत राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानिवृत्ति लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2.उक्ताहनुसार ,एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी।

3.ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं सकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिना के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4.60 वर्ष की आयु पूरान करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया

जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुर्ननियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जाएगी, तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर–520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5.उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

6. यह आदेश वि0वि0 के शासनादेश सं0220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून,2005 के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार दिनांक 18,जून 2005 से ही लागू होगा ।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. निदेशक,कोशागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।